लैंगिक संवेदन नीति

(Gender Sensitization Policy)

विविधता, समावेशिता, समानता और न्याय जैसे मूल्य सकलडीहा पी0जी0 कॉलेज, सकलडीहा–चन्दौली, उ0प्र0 की स्थापित परम्परा के अभिन्न अंग है। इसी तरह 'लैंगिक समानता' वाले विश्व का निर्माण एवं **'महिला सशक्तिकरण'** भी महाविद्यालय के केन्द्रीय मूल्यों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। महाविद्यालय यह मानता है कि बिना लैंगिक समानता के एक स्वस्थ्य एवं टिकाऊ समाज का विकास नहीं किया जा सकता है। अतः महाविद्यालय में लिंग भेदभाव के किसी भी रूप के प्रति असहिष्णुता की एक मजबूत परम्परा है और इसका लक्ष्य लैंगिक समानता का समर्थन करते हुए, समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है। महाविद्यालय की लैंगिक संवेदन नीति (Gender Sensitization Policy) इस प्रकार है–

1. महाविद्यालय में महिलाओं एवं छात्राओं को विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए एक सुरक्षित एवं संरक्षित परिसर प्रदान करना है।
2. कार्यशालाओं, गोष्ठियों, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी एवं क्विज आदि के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्र/छात्राओं में जागरूकता को बढ़ावा देना।
3. उपरोक्त के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
4. लैंगिक समानता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए रैगिंग विरोधी/महिला और छात्र शिकायत निवारण समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कराना।
5. छात्राओं हेतु विशेष मेंटर शिप की व्यवस्था करना।
6. नव प्रवेशी छात्र/छात्राओं को ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर के मूल्यों से परिचित कराना।
7. संकाय सदस्यों के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने और परियोजनाओं, सह–पाठ्यचर्या संबन्धी गतिविधियों और खेलों में छात्राओं को समान भागीदारी की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।
8. मनोविज्ञान के प्राध्यापक गण द्वारा छात्राओं को परामर्श प्रदान कराना।
9. महाविद्यालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों तथा UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009 के प्रावधानो के अनुरूप रैगिंग निवारण को सुनिश्चित करना।